अति. जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर (राजस्थान)

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) श्री गंगानगर।
पीठासीन अधिकारी : कर्णसिंह गोठवाल, आर0ए0एस0

अपील प्रकरण सं0 20/15

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

बोहड़सिंह पुत्र श्री ठानासिंह जाति जटसिख निवासी – गॉव मटीलीराठान तहसील व जिला श्रीगंगानगर।

अपीलार्थी

बनाम

स्टेट आफ राजस्थान जरिये उप तहसीलदार (राजस्व), मिर्जेवाला

रेस्पोडेन्ट

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) श्रीगंगानगर (राज.)

अपील विरूद्व आदेश 22–04–13 उप तहसीलदार, मिर्जेवाला

उपस्थित : 1.श्री दलबारसिंह बराड़, अधिवक्ता, अपीलार्थी
2.राजकीय अधिवक्ता, रेस्पो0

आदेश **दिनांक : 14–03–16**

अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील के सक्षेंप में तथ्य इस प्रकार हैं किअपीलांट के पास चक 15 एफ बड़ा का मु0 नं0 18 में 3.479 है0 रकबा खरीदशुदा था, जिसके संबंध में तहसीलदार द्वारा धारा 175 आर टी एक्ट के तहत अदालत उप जिलाधीश, श्री गंगानगर के समक्ष केस दायर किया था, जिसमें दिनरांक 11.6.82 को न्यायालय द्वारा अपीलांट के कब्जा काश्त की भूमि को रकबा राज घोषित किया जाकर कब्जा बहक सरककार लिये जाने के आदेश दिय गये थे। अपीलांट द्वारा राजस्व अपील प्राधिकारी, श्री गंगानगर के न्यायालय में अपील दायर की गई, जिसे आदेश दिनांक 19–6–82 द्वारा अपीलांट की अपील खारिज कर दी गई। इसके खिलाफ अपील राजस्व मण्डल, अजमेर में पेश की गई ओर मामला पुनः सुनवाई हेतु राजस्व अपील प्राधिकारी, श्री गंगानगर को रिमाण्ड कर दिया गया। राजस्व अपील प्राधिकारी द्वारा दिनांक 13–2–02 को निर्णय करते हुए उप जिलाधीश, श्री गंगानगर के आदेश दिनांक 11–6–82 को निरस्त कर दिया गया और संबंधित पक्षकार को पुनः सुनकर निर्णय पारित करने का आदेश पारित किया गया। इस प्रकार जिस आदेश से रकबा राज घोषित किया गया था, वह आदेश निरस्त हो गया है। धारा 144 सीपीसी का प्रार्थना पत्र उप जिलाधीश, श्री गंगानगर के न्यायालय में विचाराधीन है। कब्जा अपीलांट का शुरू से ही है। नायब तहसीलदार, मिर्जेवाला द्वारा अपीलांट को नोटिस दिया गया, जिसका जवाब में आदेश की प्रतियॉ दे कर निवेदन किया गया कि जिस आदेश से रकबा राज घोषित किया गया था,

अति. जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर (राजस्थान)

वह आदेश निरस्त हो गया है लेकिन अधीनस्थ न्यायालय द्वारा एकपक्षीय आदेश पारित कर तवान की कार्यवाही करते हुए फसल को कुर्क करने का आदेश पारित कर दिया है। अपीलांट द्वारा काश्त की हुई फसल को पूर्व में ही काट लिया गया था । समस्त कार्यवाही अधीनस्थ न्यायालय द्वारा कार्यालय में बैठकर की गई है। चक 15 एफ प्रथम के मु0 नं0 18 की 3.479 है0 भूमि पर कोई कार्यवाही कब्जा लेने, तावान लगाने, निलामी करवानले की नहीं हो सकता है। अतः अपील प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि अपील स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश दिनांक 22–4–13 निरस्त किया जावे।

अधीनस्थ न्यायालय से रेकार्ड तलब किया गया। बहस सुनी गई।

अपीलांट के अधिवक्ता ने अपील मीमो में वर्णित तथ्यों को बहस का आधार बना कर निवेदन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय का आदेश विधिसम्मत् नहीं है तथा जिस आदेश से रकबा राज घोषित किया गया था, वह आदेश निरस्त हो चुका है। अतः अपील स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश निरस्त फरमाया जावे।

राजकीय अधिवक्ता ने अपनी बहस में कहा है कि अपीलांट के पास अपीलाधीन भूमि के संबंध में कोई विधिक अधिकार नहीं है इसलिए अपीलाधीन आदेश विधिसम्मत् है। अतः अपील खारिज की जावे।

उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली का गहनता से अवलोकन किया गया।

अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील अधीनस्थ न्यायालय के प्रकरण सं0 3/13 सरकार बनाम बोहड़सिंह अ0 धारा 22 उपनिवेशन अधिनियम के अन्तर्गत दिनांक 22–4–13 को रकबा राज पर अपीलांट को नाजायज काश्त करने के आधार पर अतिक्रमी मानते हुए 50 गुणा तावान 1357/– रूपये अधिरोपित करने एवं फसल निलामी की कार्यवाही के विरूद्व पेश की गई है तथा अपील के माध्यम से उक्त आदेश को निरस्त कराने का अनुतोष चाहा गया है।

अभिलेख के अवलोकन से पाया गया कि पटवारी हल्का की रिपोर्ट के अनुसार विवादित रकबा चक 15 एफ बड़ा के मु0 नं0 18 में 3.479 है0 रकबा राज में अपीलांट द्वारा रबी 2069 में नाजायज काश्त की गई है । वकील अपीलांट का तर्क है कि उपखण्ड अधिकारी, श्री गंगानगर का आदेश दिनांक 11–6–82 जिसके द्वारा राजस्व अभिलेख में रकबा राज दर्ज किया गया था, वह आदेश राजस्व अपील अधिकारी, श्री गंगानगर के आदेश दिनांक 13–2–02 से निरस्त किया जा चुका है। पत्रावली पर राजस्व अपील प्राधिकारी, श्री गंगानगर के निर्णय दिनांक 13–2–02 की फोटो प्रति उपलब्ध है, जिसके अनुसार

अति. जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर (राजस्थान)

अति. जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर (राजस्थान)

3

उपखण्ड अधिकारी, श्री गंगानगर का आदेश दिनांक 11–6–82 निरस्त कर, प्रकरण रिमाण्ड कर पुनः निर्णय पारित करने के आदेश दिये गये हैं। राजस्व अपील प्राधिकारी, श्री गंगानगर के आदेश दिनांक 13–2–02 के अनुसरण में रिमाण्ड प्रकरण उपखण्ड अधिकारी, श्री गंगानगर के न्यायालय में विचाराधीन है, जिसपर अभी अंतिम निर्णय नहीं हुआ है। अतः ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय के अपीलाधीन आदेश में कोई हस्तक्षेप किया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है।

फलस्वरूप, अपील अपीलांट सारहीन होने से खारिज की जाती है। आदेश की प्रति के साथ रेकार्ड अधीनस्थ न्यायालय को भेजा जावे।

आदेश आज दिनांक 14–3–16 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(कर्णसिंह गोठवाल) 14/3/16
अति0 जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर।

अति. जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर (राजस्थान)